

कार्यालय जापन

**विषय: एम्स स्टाफ के परिचित रोगियों हेतु जांच तथा परामर्श में सावधानी एवं उपयुक्तता संबंधी।**

एम्स, नई दिल्ली अपने कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा (ई.एच.एस.) योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न रोगी उपचार क्षेत्रों का दौरा किया तथा यह नोट किया है कि कई बार हमारे संस्थान के स्टाफ-सदस्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित अपॉइंटमेंट/ओपीडी कार्ड बनवा लेने के बाद भी सामाजिक दायित्व के रूप में, अपने परिचित रोगियों के लिए जांच/परामर्श का अनुरोध करते रहते हैं। ये रोगी आमतौर पर उनके परिवार के अभिन्न सदस्य होते हैं, लेकिन ई.एच.एस. योजना के योग्यता मानदंडों के कारण ई.एच.एस. लाभार्थी होने के पात्र नहीं होते हैं।

तदनुसार, यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि गैर-ई.एच.एस. रोगियों तथा स्टाफ-सदस्यों के परिचित रोगियों के लिए जांच/परामर्श हेतु कोई भी अनुरोध एम्स स्टाफ के रक्त संबंधियों और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों यानी माता-पिता एवं भाई-बहन तक ही सीमित रहेगा। एम्स के सभी स्टाफ-सदस्यों को उनके किसी भी परिचित व्यक्ति की जांच/परामर्श कराने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है तथा उनसे इस तरह के किसी भी अनुरोध हेतु उनके एम्स आई.डी. कार्ड की एक प्रति जमा करने का अनुरोध किया जाता है। उपयोगकर्ता विभागों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे स्टाफ-सदस्य के किसी भी परिचित रोगियों की जांच/परामर्श हेतु प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें तथा ऐसे सभी परिचित रोगियों से संबंधित अनुरोधों के रिकॉर्ड के लिए कार्य-पंजी (लॉग) अनुरक्षित रखें। किसी भी परिचित रोगी के अनुरोध के संबंध में सावधानी एवं उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए इन कार्य-पंजी (लॉग) का वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए।

**प्रो. एम. श्रीनिवास**

निदेशक

**वितरण:** (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर-निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, इज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. उप-सचिव
8. प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय जापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI**  
**OFFICE OF DIRECTOR**

F.No. 40-30/2022-Estt.I


21.03.2024

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub: Prudence & propriety in investigations & consultation for patients known to AIIMS staff reg.**

AIIMS New Delhi provides health facilities for its employees and their eligible family members under the Employee Health Service (EHS) scheme. The undersigned has taken rounds of various patient care areas and it is noted that sometimes, as a social obligation, staff working at AIIMS New Delhi are requesting investigations /consultations for patients known to them – albeit after taking appropriate appointments / making the OPD card as per the defined process. Such patients are usually their close family members, but are not eligible to be EHS beneficiaries due the qualifying criteria of the EHS scheme.

Accordingly, it has been decided to clarify that for non-EHS patients, any request for investigations / consultation for known to patients shall be restricted to the AIIMS staff's blood relations and their immediate family members viz. Parents & Siblings and their immediate family members. All staff working at AIIMS are advised to take utmost caution in accompanying any known to person for investigations / consultation and are requested to submit a copy of their AIIMS ID card along with any such request. The user departments are also requested to take utmost caution while accepting any requests for known to patients for any investigations / consultation and are required to maintain a log of all such known-to requests. These logs must be audited atleast once a year to ensure prudence & propriety of any known to requests.

 21/3/2024

**Prof. M Srinivas**  
Director

**Distribution** (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Deputy Secretary
8. Prof. I/c Computer Facility